सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 250/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–29.11.2023

GCMS ID–2023/351

उनवान

1. नन्दकिशोर आ0 देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कन्या बाई पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. अनिल आ0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. परमेश्वर आ0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मनोज आ0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. महावीर आ0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. सुनिल आ0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कमला पुत्री गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. मीरा पुत्री गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. सावित्री पत्नी गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
11. बालीबाई पत्नी नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बरधा आ0 मथरा जाति मीणा निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. उदा आ0 सरदारा जाति मीणा निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मदनलाल आ0 कल्याण जाति मेघवाल निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– जबाव बंद

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि यह कि कृषि भूमि खसरा स0 2378 रकबा 0.3076 है0, 2380 रकबा 0.2104 है0, 2381 रकबा 0.7122 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4244 हैक्टर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मंडल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी गण की खातेदारी में दर्ज है। कृशि भूमि खसरा सं0 3054/2201 रकबा 4 बीधा वाके ग्राम भोजगढ पटवार मंडल खीण्या तहसील हिण्डाली लि बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी नंदकिशो की खातेदारी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

में दज है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भुमि के सहखातेदार बाली बानी पत्नी देवी तथा नर्बदा पुत्री देव की मृत्यु हो गयी है, इनके वारिस प्रार्थी सं0 1 व 2 है, प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1,2,3 मे वणित भूमियो पर प्राथीगण शांतिपूर्वक काबिज काशत चले आ रहे हे लेकिन भुमि पर सीमाबंदी के संबध मे कोई स्थायी निशान नही हे इस कारण भूमि के पडौसी अप्रार्थी 1 लगायत 3 से सीमाबंदी के संबध मे आये दिन विवाद होता रहता है। यहकि प्राथीगण अपने पड़ौसियों से किसी प्रकार का विवाद नही चाहते हैं क्योंकि विवाद से अनावश्यक तनांव बढता है तथा प्राथीगण पडौसियों से मधुर संबध कायम रखना चाहते है ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण ने अप्राथीगण से आपसी सहमति से भुमि की पत्थरगढी करवाने का अनुरोध किया लेकिन अप्राथीगण इसके लिये तेयार नही हुये। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य कोई स्थायी निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण की भूमि की सीमा में दखलंदाजी करते है। प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल को आवारा मवेश्यिों के नुकसान से बचाने वास्ते अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेंसिंग करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से दिनांक 04.11.2023 को आपसी सहमति से व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण इंकार हो गये। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है और प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 04.11.2023 को उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1,2,3 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेंसिंग करवावे। प्रार्थीगण ने पूर्व में अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन किया था लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा सीमा ज्ञान में विवाद करने के कारण प्रार्थीगण के समक्ष पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी की शुल्क जमा कराने को तैयार है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण की भूमियां ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी के प्रकरण में कार्यवाही तहसीलदार सा0 के निर्देशन में की जानी है जिनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1,2,3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2378, 2379, 2380, 2381, 3054/2201 व 2930/2203 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की ओर से बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं किए जाने से जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाने पर पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के सहखाते की भूमियॉ है। प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमाबंदी के संबंध में कोई स्थाई निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 176 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है व खतौनी संख्या 145 प्रार्थी संख्या 11 के नाम व खतौनी संख्या 103 प्रार्थी संख्या 1 नन्दकिशोर के नाम खातेदारी में दर्ज है। अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार व सहखातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 176 के खसरा संख्या 2378, 2379, 2380, 2381 व खाता संख्या 145 के खसरा संख्या 3054/2201 व खाता संख्या 103 के खसरा संख्या 2930/2203 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी व सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446